

दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण

इस योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह उप-योजना वर्ष 1999 से अस्तित्व में है। गैर-आवर्ती सहायता अनुदान मुख्य रूप से मौजूदा सरकारी भवनों में लिफ्ट, रैंप, शौचालयों के सुधार, टेक्टाइल फ्लोरिंग, हैंड रेल आदि के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त बनाया जा सके। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र/राज्य/जिला स्तर के कार्यालयों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए भी सहायता अनुदान जारी किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सभी प्रस्तावों को सिपडा योजना की स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसकी अनुशंसा पर प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

1.0 बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र संस्थाएं

कार्यान्वय संगठनों/संस्थानों को निधियां सीधे किया जाएगा। निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- क. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग ।
- ख. केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
- ग. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी / आरसी / आउटरीच केंद्र ।
- घ. केंद्रीय / राज्य मान्यता प्राप्त खेल निकाय और संघ ।

नोट: उपरोक्त सरकारी संस्थाओं के पास उस संबंधित भवन का स्वामित्व होना चाहिए जहां बाधा मुक्त वातावरण के मानकों को स्थापित किया जाना है।

2.0 कार्यक्षेत्र

- i) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों आदि में निर्मित वातावरण तक पहुंच शामिल है। इसमें रैंप, रेल्स, लिफ्ट, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम्य शौचालय, ब्रेल साइनेज और श्रवण संकेत(ऑडिटरी सिग्नल्स), टेक्टाइल फ्लोरिंग, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच के लिए फुटपाथ में कटाव (कट) और ढलान बनाना, दिव्यांगता के उपयुक्त प्रतीक बनाना, आदि का प्रावधान शामिल होगा ।
- ii) एनआईसी या एमईआईटीवाई तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी/ओ एआर एंड पीजी विभाग), भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट के लिए जारी दिशानिर्देशों, के अनुसार केंद्र/राज्य और जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को पीडब्ल्यूडी के लिए सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट " <http://darpg.nic.in> " पर उपलब्ध हैं।
- iii) पुस्तकालयों में फिजिकल और डिजिटल दोनों रूपों में और अन्य ज्ञान केंद्रों में सुगम्यता को बढ़ावा देना।

- iv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए अनुदान प्रदान करना ।
- v) जहां उपयुक्त सरकार /स्थानीय प्राधिकरण के पास अपनी जमीन है वहां पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण/पार्कों का विकास करना तथा मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढांचों में बाधा मुक्त मानक उपलब्ध कराना ।
- vi) नई योजनाओं / परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सहायता।
- vii) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है/कवर नहीं किया गया है।

3.0 गतिविधियां

क. दिव्यांगजनों के लिए आउटडोर सुविधाएँ

- (i) सुगम्य मार्ग/पहुंच (अप्रोच) का निर्माण
- (ii) भारत सरकार, आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी और आरपीडब्ल्यूडी नियमों या लागू किसी अन्य मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान मानकों के अनुसार सुगम्य पार्किंग ।
- (iii) भवन के लिए सुगम्य प्रवेश द्वार (भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी और आरपीडब्ल्यूडी नियमों या किसी अन्य मौजूदा नियम/दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान मानकों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हैंडरेल, साइनेज के साथ सीढ़ियों के साथ में एक रैंप उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।
- (iv) सुगम्य गलियारे और टेक्टाइल फ्लोरिंग

ख. दिव्यांगजनों के लिए इनडोर सुविधाएँ

- (i) सुगम्य स्वागत कक्ष (कम ऊंचाई का काउंटर)
- (ii) सुगम्य गलियारे और टेक्टाइल फ्लोरिंग
- (iii) टेक्टाइल पथ
- (iv) सुगम्य गलियारे और टेक्टाइल फ्लोरिंग
- (v) सुगम्य लिफ्ट (न्यूनतम 13 यात्री वाली लिफ्ट, आडिटरी घोषणाओं के साथ ब्रेल बटन, लिफ्टों के बाहर साइनेज उपलब्ध कराए जाने हैं)
- (vi) हैंडरेल्स के साथ सीढ़ियां
- (vii) सुगम्य शौचालय
- (viii) सुगम्य पेयजल की सुविधा

(ix) साइनेज (इनडोर और आउटडोर)

नोट: भारत सरकार, आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी और आरपीडब्ल्यूडी नियमों या किसी अन्य मौजूदा नियम/दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान मानकों के अनुसार सुगम्यता की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं ।

ग. विशिष्टता

- निर्मित लिफ्टों, शौचालयों और पार्कों के लिए जियो टैगिंग
- दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो निर्देश
- दृष्टिहीन, बधिरों आदि के लिए भवन के प्रवेश द्वार से सुरक्षा जांच वाले स्थान तक विशेष फुटपाथ का रखरखाव ।

4.0 सहायता के लिए शर्तें

- 4.1** बाधा मुक्त और सुगम्य भारत घटक के तहत सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्तावों की जांच विभाग की एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी जिसमें संयुक्त सचिव (सिपडा), निदेशक/उप सचिव (सिपडा) और विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले दिव्यांगता क्षेत्र के दो विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- 4.2** कार्यान्वयन एजेंसी को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और/अथवा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए किसी अन्य मौजूदा दिशा-निर्देशों/सुसंगत दिशा-निर्देशों और स्थान मानकों और/या संविदा/वित्तीय लेन-देन के मामलों में किसी अन्य मौजूदा दिशानिर्देशों/सीवीसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।
- 4.3** कार्यान्वयन एजेंसी विभाग या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थानों / सीसीए के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा विंग आदि द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली (ओपन) रहेगी।
- 4.4** जब भारत सरकार के पास यह मानने के कारण हों कि सहायता अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो उस राशि को कार्यान्वयन एजेंसी से दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और एजेंसी को आगे कोई सहायता नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ऐसे संगठन को काली सूची में डालने और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 4.5** कार्यान्वयन एजेंसी प्रस्ताव में निर्धारित किए गए अनुसार कार्य/परियोजना के पूरा होने के तीन महीने के भीतर एक परियोजना समापन रिपोर्ट के साथ संपूर्ण अनुदान के लिए अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। अप्रयुक्त सहायता अनुदान, यदि कोई हो, तो उस मंत्रालय को उसे

वापस करना होगा। यदि कार्य/परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं होती है और उसे पूरा करने के लिए और समय मांगा जाता है, तो संबंधित संगठन द्वारा मंत्रालय को सूचित करना होगा और देरी का कारण भी बताना होगा।

- 4.6** प्रत्येक प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- 4.7** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसरण में आगे और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

5.0 अनुशंसा

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अपनी अनुशंसा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजनी चाहिए। केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित स्वायत्त संगठन, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या सहायता-प्राप्त संगठनों को केंद्र/संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से अपने प्रस्ताव भेजने चाहिए। खेल निकाय/संघ (फेडरेशन) के प्रस्तावों के साथ संबंधित मंत्रालय/केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभाग का अनुमोदन/अनापत्ति पत्र होना चाहिए।

6.0 फंडिंग पैटर्न (नए प्रस्ताव के मामले में)

योजना के तहत उपरोक्त पैरा 1.0 में शामिल कोई भी संगठन/संस्था, जो पैरा 2.0 और 3.0 में उल्लिखित बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए किसी भी गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है, परियोजना हेतु अनुमान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य या गतिविधियों का विवरण, परियोजना का कार्यक्षेत्र, शामिल कुल लागत, समय-सीमा (टाइम लाईन) आदि का उल्लेख किया जाना है। सहायता की मांग करने वाले संस्थान/संगठन के प्रमुख के अनुमोदन से भेजना चाहिए। प्रस्ताव में इस योजना के तहत पूर्व में किए गए कार्य या गतिविधि का विवरण, यदि कोई हो, और उसकी स्थिति का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:-

- संगठन/विभाग का नाम और विवरण (सरकारी विभाग, सांविधिक या स्वायत्त निकाय, आदि)।
- पैरा 5 में उल्लिखित केंद्र/संबंधित राज्य सरकार का अनुशंसा पत्र।
- प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम का विवरण।
- उपलब्ध कराई जाने वाली सुगम्य विशेषताओं जैसे लिफ्ट, शौचालय, रैंप, रेलिंग साइनेज, मार्ग आदि का विवरण।
- प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम की आवश्यकता और संभावित परिणाम
- अर्जित होने वाले दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक लाभ का विवरण।
- मद-वार विवरण देते हुए परियोजना की संभावित लागत।
- क्या एक बार शुरू की गई परियोजना को लागू करने में कोई आवर्ती लागत शामिल है, यदि हां, तो उसका विवरण और उसके लिए वित्त पोषण के तौर-तरीके।
- परियोजना/कार्यक्रम के निष्पादन के लिए समय सीमा।

- परियोजना/कार्यक्रम से संबंधित नोडल अधिकारी का नाम और अन्य विवरण।
- परियोजना का स्थान और वर्तमान रंगीन फोटोग्राफ्स और विस्तृत वास्तुशिल्प मानचित्र जहां निर्माण शुरू किया जाना है।
- स्थान/स्थल के प्रमाण के लिए एक शोर्ट वाक थ्रू वीडियो (02 मिनट से 10 मिनट तक) की आवश्यकता होगी जहां पैरा 3.0 में उल्लिखित सुगम्यता विशेषताएं प्रदान की जाएंगी।
- प्रस्ताव का औचित्य।
- प्रस्तावित कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के चयन की प्रस्तावित विधि।
- प्रस्ताव आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के लिए निर्धारित सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान मानकों या किसी भी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में होना चाहिए।
- निर्माण के मामले में, प्रारंभिक लागत अनुमान कम से कम सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता पद के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- प्रस्ताव में यह इंगित होना चाहिए कि प्रारंभिक लागत अनुमान तैयार करने में किस वर्ष की दरों की अनुसूची (एसओआर) को अपनाया गया है।
- सुगम्य वेबसाइट के मामले में, एनआईसी या एक सक्षम तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक लागत अनुमान जिसमें सुगम्य बनाए जाने के लिए प्रस्तावित वेबसाइट, वर्तमान में उपलब्ध सुगम्यता विशेषताएं, प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाएँ और प्रस्तावित कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के चयन के लिए प्रस्तावित विधि का विवरण होना चाहिए।
- निगरानी तंत्र।
- संबंधित प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन का विवरण।
- उस विभाग/संगठन के बैंक खाते का विवरण जिसमें निधि अंतरित की जाएगी।
- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईएटी मॉड्यूल का पालन करना होगा।

6.1 फंडिंग पैटर्न (दूसरी किस्त के मामले में)

जब भी, संबंधित संगठन आगे और निधि या दूसरी/अंतिम किस्त जारी करने का अनुरोध करता है तो प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

- वर्तमान में रंगीन फोटोग्राफ्स के साथ निर्दिष्ट तिथि सहित पूर्ण किए गए कार्य की भौतिक(फिजिकल) प्रगति रिपोर्ट।
- पिछली जारी सहायता अनुदान के लिए जीएफआर-2017 में निर्धारित नियमों के अनुसार निधि उपयोग प्रमाण पत्र।
- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष राशि के संबंध में मांग पत्र (मूल रूप में)।
- सहायक दस्तावेजों के साथ कार्य की वास्तविक निविदा लागत।
- किए गए वास्तविक व्यय जिसमें वहन किया गया अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, शामिल है।
- कार्य को पूरा करने के लिए समय सारणी और योजना का संक्षिप्त विवरण (कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होने के मामले में)
- परियोजना/कार्यक्रम से संबंधित नोडल अधिकारी का नाम और अन्य संपर्क विवरण।

नोट: सहायता अनुदान आम तौर पर दो किस्तों में जारी किया जाएगा और कुछ मामलों में कार्य

की प्रकृति और कार्यान्वयन के चरणों के आधार पर अधिकतम तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। दस्तावेजों की आवश्यकता दूसरी और तीसरी किस्त (यदि कोई हो) के लिए समान होगी।